उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक :– 1186 अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / उ0शि0 / III B दिनांक : 13/03/2026

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

एतद्द्वारा **श्री सौरभ चमोली, सहायक अभियन्ता, कारपोरेट (अनुबन्ध एवं क्रय–प्रथम)** (Employee Code : UA00000635) कार्यालय कारपोरेट अनुबन्ध एवं क्रय–प्रथम, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिलानी, द्वारा ऑनलाईन माध्यम से संचालित वर्क इन्टीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम (WILP) के अन्तर्गत बी0टेक0 (इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम के **सावतें सेमेस्टर (वर्ष 2025–26)** में स्वयं के व्यय पर प्रवेश लेने एवं अध्ययन हेतु विभागीय अनुमति प्रदान की जाती है:–

(क) अनुमति केवल उसी दशा में प्रदान की जा रही है कि प्रश्नगत अनुमति / अध्ययन से कारपोरेशन के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का ह्रास उत्पन्न न हो तथा आपकी कार्यक्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न ही आप अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा ही करें।

(ख) यदि अनुमति प्रदान करने के उपरान्त ऐसा भासित होता है आपको उक्त अनुमति प्रदान करने के उपरान्त आपके कार्य में शिथिलता आ गयी या कार्य सम्पादन में ह्रास उत्पन्न हो गया है अथवा उक्त अनुमति देना कारपोरेशन हित में नहीं है तो प्रदान की गयी अनुमति को कारपोरेशन किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर देगा।

(ग) उपर्युक्त अनुज्ञा प्राप्त होने के फलस्वरूप आप मात्र इस आधार पर अपने अवकाश / तैनाती अथवा स्थानान्तरण सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होंगे।

(घ) उपर्युक्त अनुमति से सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी के लिये आपको किसी प्रकार का अवकाश समान्यतः कारपोरेशन एवं लोकहित को दृष्टिगत करते हुए ही अनुमन्य होगा।

(ड) किसी बहुवर्षीय पाठयक्रम / अध्ययन के लिये प्रतिवर्ष नवीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(च) उन्नत, उच्चस्तरीय अथवा विशिष्ठ अध्ययन एवं तकनीकी विषयों के सम्बन्ध में भी उपरिवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमति प्रदान की जायेगी।

(छ) सम्बन्धित कार्मिक का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित पाठयक्रम / डिग्री / संस्थान इत्यादि, सम्बन्धित नियमों / प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है, अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त विभागीय अनुमति को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ज) कारपोरेशन द्वारा आपको अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान किये जाने का आशय यह नहीं है कि यदि आप वह प्रश्नगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो कारपोरेशन आपको सेवा में उसका लाभ देने के लिये बाध्य होगा।

(झ) सम्बन्धित अध्ययन पर होने वाला व्यय आपके द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

अधिशासी निदेशक(मा0सं0)

पत्रांक :– 1186 अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / उ0शि0 / III तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, कारपोरेट (अनुबन्ध एवं क्रय–प्रथम), उपाकालि, वी0सी0वी0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उपाकालि, वी0सी0वी0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेवसाईट पर प्रदर्शित कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. सम्बन्धित कार्मिक अनुभाग, उपाकालि, देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिक / वै0पत्रा0 / कट फाईल।

(सुमित सिंघल)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(मा0सं0)